दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैण्ड पूलिंग नीति, दिल्ली के नाम पर प्लाटों/फ्लैटों का प्रस्ताव करने वाली सोसाइटियों/कंपनियों/डेवलपरों में निवेश के प्रति सावधानी

दिल्ली की लैण्ड पूलिंग नीति को का.आ. 5220 (ई) द्वारा 11 अक्तूबर 2018 को अधिसूचित किया गया था। दि.वि.प्रा. की जानकारी में यह आया है कि पंजीकृत/अपंजीकृत कम्पनियां/सोसाइटियां/डेवलपर (जिन्हें बाद में प्रोमोटर कहा जाएगा) यह दावा करते हुए प्लाटों/फ्लैटों की बुकिंग के लिए आकर्षक स्कीमों का लालच दे रहे हैं कि उनके पास दिल्ली की लैण्ड पूलिंग नीति (एल.पी.पी.) के अंतर्गत भूमि उपलब्ध है। ऐसे धोखेबाज तत्व पंजीकरण राशि/प्रारंभिक जमा राशि इत्यादि के साथ ऐसी संभावनाओं को दर्शाने वाले ब्रोशर की राशि वसूल रहे हैं।

लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत प्रोमोटर को आबंटित विकास योग्य प्लॉट का ले-आउट और भूमि विवरण को केवल दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित विनियमों (राजपत्र अधिसूचना 5384 (ई) के अनुसार ले-आउट अनुमोदन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन तथा फाइनल डेवलपमेंट लाइसेंस (एल.डी.एल.)के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले कोई भी डेवलपर विकास योग्य प्लॉट की अंतिम अवस्थिति के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है।

आम जनता को एतदर्थ सावधान किया जाता है कि 'रेरा' (कृपया रेरा अधिनियम का संदर्भ लें) के अंतर्गत परियोजना का पूर्व पंजीकरण किए बिना लैंड पूलिंग क्षेत्र के अंतर्गत किसी परियोजना में किसी भी रूप में कोई प्लॉट या अपार्टमेन्ट खरीदने के लिए किसी भी तरह से, कोई भी व्यक्ति विज्ञापन देने/मॉर्केटिंग करने/बुक करने/बेचने या व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। 'रेरा' के तहत पंजीकरण के लिए प्रमोटर को स्वीकृत ले–आउट प्लॉन और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत करवाना आवश्यक है।

इसलिए आम जनता को एतदर्थ सलाह दी जाती है कि किसी भी स्कीम में निवेश करने से पूर्व अथवा लैण्ड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर की गई आफर करने से पहले प्रचलित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत पूरे विवरणों/अनुपालनों की जांच कर लें।

कृपया नीति, विनियमों और लैण्ड पूलिंग प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-110332 डायल करें